न्यायालयः **सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., हसनपुर,** ज्योतिबाफुले नगर

उपस्थितः श्री राघवेन्द्र मणि, उ०प्र०न्यायिक सेवा

दण्डवाद सख्या–२७४/२०१३

राज्य.....प्रति.....

१. सलीम उर्फ कलीम पुत्र अलीम खां
२. शहजाद पुत्र अलीम खां
३. फहीम पुत्र मुनव्वर खां

निवासीगण मौ० काला शहीद थाना हसनपुर जनपद ज्योतिबाफुले नगर।

धारा ३२३, ३२५ भा.द.स.
थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा।
अपराध सं. ६२७/२०१२

निर्णय

प्रस्तुत अपराधिक वाद थाना हसनपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम के विरूद्ध धारा ३२३, ३२५ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए संस्थित किया गया।

संक्षेप मे अभियोजन पक्ष का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कासिम खां द्वारा थाना हसनरपुर पर इस आशय की सूचना दी गयी कि दिनांक १७.०६.२०१२ को समय ७.३० बजे सांय पर में नमाज पढ़ने गढ़ी वाली मस्जिद में गया था। जब बाहर निकला तो फहीम, सलीम, शहजाद खड़े थे मुझे देखते ही कहने लगे मारों साले को आज बचकर न जा सके मेरे साथ सरियों से मारपीट करने लगे। वादी अपने आप को सरियों से पीटता देख अपने घर को भाग कर आया तो उपरोक्त मुल्जिमान वादी के घर में घुस आये और सरियों व लात घूसों से मारापीटा।

वादी मुकदमा की उपरोक्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना हसनपुर पर अभियुक्तगण सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम के विरूद्ध एन.सी.आर. संख्या ९०/२०१२ धारा ३२३ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज की गई। तदोपरांत वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १५५(२) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर न्यायालय के आदेश दिनांकित २८.०७.२०१२ के पश्चात विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौराने विवेचना, चोटहिल राहिद खां की आघात आख्या में नाक की हडडी टूटने के आधार पर मुकदमे में धारा ३२५ भारतीय दण्ड संहिता की बढोत्तरी करते हुए मुकदमा अपराध संख्या ६२७/२०१२ में तरमीम किया गया।

मामले में विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम के विरूद्ध धारा ३२३, ३२५ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तगर्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये, उन्होंने अपनी जमानतें कराईं और तदोपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक ०४.०३.२०१६ को धारा ३२३, ३२५ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लु–१ कासिम व पी.डब्लु–२ राहिद को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा शेष साक्षीगण को वादी मुकदमा ने अभियोजन द्वारा संस्तुत प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य की औपचारिक प्रामाणिकता बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गई।

मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३, ३२५ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार पर अभियोजन पक्ष पर है।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लु–१ कासिम के द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''आज से चार साल पहले शाम ८ बजे बाहर निकला तो सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम ने मेरे साथ सरियों से मारपीट की मेरे भाई हिदायत ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मुल्जिमानों ने मारापीटा। मेरे भाई राहिद की नाक तोड़ दी थी सही धाराओं में मुकदमा तरमीम कराने के लिये प्रा० पत्र अदालत में दिया था।'' उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ''दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया सी० डी० से उसका बयान धारा १६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मेरा मुल्जिमान से राजीनामा हो चुका है। घटना के वक्त अन्धेरा था अन्धेरे में किसने मारपीट की थी पहचान न सका। हाजिर अदालत मुल्जिमान सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। '' उक्त साक्षी द्वारा आगे अभियोजन द्वारा की गयी पुनः परीक्षा में कथन किया है कि,'' मुल्जिमान मुझे बुलाकर नहीं लाये। पुलिस वाले घर पर सम्मन लेकर आये थे आज में सम्मन साथ नहीं लाया हूं। मुल्जिमान के नाम रिपोर्ट में लोगों के बताने पर लिखवा दिये थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से राजीनामा करके सही बात न बता रहा हूं।'' इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप गन्दी–२ गालियां देते हुए लात घूसों व सरियों से मारपीट कर हडडी तोड़ने से इन्कार किया गया है और इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है।

साक्षी पी.डब्लु–२ चोटहिल राहिद ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''दिनांक १७.०६.२०१२ को मेरे साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की हाजिर अदालत मुल्जिमान सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम को मैं पहचानता हूं। इन्होंने मेरे व मेरे भाई के साथ मारपीट नहीं की । इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि ''दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया। गवाह को केस डायरी से उसक बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया। उन्होंने क्यों लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं जानता। गवाह से पत्रावली पर मौजूद मेडिकल के बारे में पूछां गया तो गवाह ने कहा ये कहना सही है कि तीन चार साल पहले सरकारी अस्पताल हसनपुर में मेरा मेडिकल हुआ था। ये कहना गलत

है कि मुल्जिमान द्वारा पीटे जाने के कारण मेडिकल कराया हो।''

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लु–१ कासिम ने अपनी मुख्य परीक्षा में तो अभियोजन के पक्ष में कथन किया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि, घटना के समय अन्धेरा हो गया था। अन्धेरा होने के कारण मारपीट करने वाले मुल्जिमान को देख नहीं सका और हाजिर अदालत मुल्जिमान ने उसके साथ व उसके भाई के साथ कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये अन्य साक्षी पी० डब्लु–२ राहिद, के पूर्वोक्त पक्षद्रोही साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। यद्यपि अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, किन्तु मात्र अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर लेने से अभियोजन कथानक साबित नहीं माना जा सकता। अभियोजन की ओर से जो गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण सलीम उर्फ कलीम, शहजाद, फहीम को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ३२३, ३२५ भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर है। धारा ४३७–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत नामें व बंध पत्र निर्णय की तिथि से ६ माह की अवधिक तक प्रभावी रहेगें। तत्पश्चात किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में उन्मोचित समझे जायेगें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

२४.०८.२०१६

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
२४.०८.२०१६

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

२४.०८.२०१६

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
२४.०८.२०१६